ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मौदगिल, जे. जे. के समक्ष

हरियाणा राज्य और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

सतपाल सिंह और अन्य प्रतिवादीओं

एल. पी. ए. संख्या 600 ऑफ़ 2022

20 जुलाई, 2022

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-लेटर्स पेटेंट-खंड X-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925-धारा 105-विशिष्ट राहत अधिनियम-अध्याय। 6-पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887-एस.एस. 13 और 45-एक अमी सिंह, जाति राजपूत, गाँव खुदा कलां में पट्टी मदनी और पट्टी खुदा, तहसील और जिला अंबाला में गाँव मंघलाई में कृषि भूमि के साथ-साथ गाँव स्लरहेरी में भूमि के मालिक थे-उनकी मृत्यु हो गई-उनकी पत्नी श्रीमती कालेहरी को संपत्ति विरासत में मिली-निजी प्रतिवादी का दावा-वे अमी सिंह गोद लिया गया पुत्र है और श्रीमती कालेहरी के दत्तक पुत्र भोंडू के पोते हैं। -श्रीमती कालेहरी के जीवनकाल के दौरान उन्होंने अपने दत्तक पुत्र भोंडू के पक्ष में एक वसीयत को निष्पादित किया और बिना निसंतान मृत्यु हो गई-निजी प्रतिवादी ने भोंडू के उत्तराधिकारी होने के नाते-संपत्ति के मालिक के रूप में घोषणा करने की मांग की-उसी गोत्र के पट्टिदार होने के स्वामित्व के लिए मुकदमा खारिज कर दिया गया-सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया-क्योंकि श्रीमती. कालेहरी की मृत्यु भोंडू से पहले हुई थी, जो मलकान जैकार्डे के पक्ष में स्वीकृत उत्परिवर्तन था।यदि वसीयतकर्ता जीवित नहीं रहता है, तो विरासत प्रभावी नहीं हो सकती है, लेकिन समाप्त हो जाएगी-उत्परिवर्तन को चुनौती नहीं दी गई-निजी प्रतिवादी ने उचित मामला दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन वैधानिक उपचार का लाभ नहीं उठाया गया-निजी प्रतिवादी द्वारा शॉर्ट कट-उन व्यक्तियों को आरोपित किए बिना रिट याचिका दायर की गई जिनके मुकदमा में उत्परिवर्तन स्वीकृत किया गया था और यहां तक कि वैधानिक उपचार का लाभ उठाए बिना-सहायक कलेक्टर का अपील योग्य आदेश, एकल पीठ द्वारा अलग रखा गया दूसरा ग्रेड-अदालत के भीतर अपील की अनुमति-एकल पीठ का निर्णय अलग कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया कि उक्त वैध वसीयत के आधार पर, सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला छावनी द्वारा विचार किए जाने पर याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 18.5.2022 के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह रिकॉर्ड में आया है कि गाँव खुदा कलां का उत्परिवर्तन संख्या 543 और गाँव मंगलाई का उत्परिवर्तन संख्या 735 पहले ही तय और स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त उत्परिवर्तन अनुप्रयोग के पुत्र ठाकुर सिंह द्वारा पसंद किया गया था। भोंडू के कारण मलकान जैकार्डे के नाम पर उत्परिवर्तन को मंजूरी दी गई, जिसे सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी, अंबाला कैंट द्वारा दर्ज किया गया था।अपने दिनांकित 10.04.1961 आदेश में, कि ठाकुर सिंह के बयान के अनुसार,

उनके पिता भोंडू, जिनके पक्ष में वसीयत को श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया है। कालेहरी, उससे पहले ही मर चुका था, जिसका अर्थ है कि उस पर कोई संपत्ति नहीं होगी।इसलिए, उत्परिवर्तन को मलकान जैकार्डे के पक्ष में मंजूरी दी गई थी।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 105 पर भी इस मुद्दे को साबित करने के लिए भरोसा रखा गया था कि यदि वसीयतकर्ता वसियत करना वाला जीवित रहता है, तो विरासत प्रभावी नहीं हो सकती है, लेकिन वसीयतकर्ता की संपत्ति के अवशेष का हिस्सा बन जाएगी, जब तक कि वसीयत का इरादा यह नहीं है कि यह किसी अन्य व्यक्ति को जाना चाहिए, जो कि दिनांकित 9.6.1917 वसीयत में ऐसा नहीं था। मलकान जैकार्डे के पक्ष में उत्परिवर्तन दर्ज करने वाले राजस्व अधिकारी के दिनांकित 10.04.1961 के इस आदेश को किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और यह जारी है।

प्रतिवादी द्वारा इस प्रार्थना के साथ एक मुकदमा दायर किया गया था कि मलकान जैकार्डे और पट्टी मदनी के नाम स्वामित्व के कॉलम से हटाने का आदेश दिया जा सकता है और वादी के नाम दिनांकित 9.6.1917 वसीयत के आधार पर कॉलम में दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन एक मुकदमा मामला दायर करने की अनुमति के साथ इसे वापस ले लिया गया था।पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की खंड 45 पर संदर्भ और निर्भरता रखी गई थी, जहां विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 के अध्याय 6 के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है जो खुद को किसी भी अधिकार के बारे में पीड़ित समझता है, जिसके अधिकार उसके पास हैं।उक्त उद्देश्य के लिए दीवानी मुकदमा को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था और अधिकार की घोषणा के वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया था, कि ग्राम खुदा कलां का उत्परिवर्तन संख्या 543 और ग्राम मंगलाई का उत्परिवर्तन संख्या 735 क्रमशः 10.04.1961 और 02.02.1962 पर स्वीकृत किया गया था, जो अभी भी बिना किसी चुनौती के क्षेत्र और मौजूदा प्रविष्टियों को धारण कर रहे थे, याचिकाकर्ताओं को दावे के लिए हकदार नहीं बनाते थे, जैसा कि अभ्यावेदन में किया गया था।

(पैरा 5)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि इसके अलावा, ग्राम खुदाकालान से संबंधित उत्परिवर्तन सं. 543 को दिनांक 10.4.1961 और 2.2.1962 ग्राम मंगलाई के उत्परिवर्तन सं. 735 को मंजूरी दी गई, जहां राजस्व अधिकारी ने मलकान जयकार्डे के नाम पर उत्परिवर्तन को मंजूरी दी थी, जिसे अधिकारों के राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत शामिल किया गया है और राजस्व प्रविष्टियां आज तक मौजूद हैं और उन्हें कोई चुनौती नहीं है, उत्परिवर्तन, जैसा के पक्ष में स्वीकृत करने की मांग की गई है की प्रतिवादी को उनके प्रतिनिधित्व द्वारा से, जिसे इस न्यायालय द्वारा 2022 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4904 में दिनांकित 12.05.2022 निर्देशों द्वारा से तय करने का आदेश दिया गया था, सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

इसके अलावा, दिनांक 18.05.2022 (अनुलग्नक पी-16) का विवादित आदेश सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा पारित किया गया। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की

धारा 13 के तहत अपील योग्य है, जो निजी प्रतिवादी के लिए उपलब्ध वैकल्पिक प्रभावी उपाय है, जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है।

हरियाणा राज्य और अन्य निजी राज्य बनाम सतपाल सिंह और अन्य 1231
अन्य (ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(पैरा 19)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका द्वारा से एक शॉर्ट कट लागू करने की मांग की जा रही है, जिसे उनके द्वारा प्राथमिकता दी गई थी, ताकि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उचित निर्णय से बचा जा सके और उन पक्षों को अवसर दिया जा सके, जिनके पक्ष में उत्परिवर्तन को मंजूरी दी गई है।यहां यह जोड़ा जा सकता है कि जिन पक्षों के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन दर्ज किए गए हैं, वे रिट याचिका के पक्षकार नहीं हैं। निजी प्रतिवादी की ओर से यह अभ्यास उनकी ओर से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जो स्वयं निजी प्रतिवादी की रिट याचिका को अस्वीकार करने के लिए एक अच्छा आधार है जैसा कि उनके द्वारा पसंद किया गया है।

(पैरा 20)

आगे कहा कि, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करना आदेशते हैं और सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा पारित दिनांकित 18.05.2022 (अनुलग्नक पी-16) को आदेश को कायम रखते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को रद्द आदेश देते हैं।

(पैरा 23)

हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मित्तल और हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता सौरभ मागो ने याचिकाकर्ता।

कैविएटर-प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष अग्रवाल और अधिवक्ता मुकुल अग्रवाल।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.

सीएम-1362-एलपीए-2022

सी. एम. की अनुमति केवल अपवादों के अधीन है। सिविल रिट याचिका, अनुलग्नक, सीएम आवेदन और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर अन्य अभिवचनों की प्रमाणित और टाइप की गई प्रतियों को दाखिल करना, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 06.07.2022 निर्णय को समाप्त कर दिया जाता है।

एल. पी. ए.-600-2022

(1) इस अपील में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 06.07.2022 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा पारित दिनांक

18.05.2022 (अनुलग्नक पी-16) का आदेश, जिसमें इस न्यायालय द्वारा 2022 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4904 में जारी निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 10.10.2021 (अनुलग्नक पी-14) के निजी प्रतिवादी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था, दिनांक 12.05.2022 के आदेश के अनुसार, विवादित आदेश को रद्द करके अनुमति दी गई है।

(2) अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित निर्णय पारित करते समय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.05.2007 (अनुलग्नक पी-8) के फैसले को गलत तरीके से पढ़ा है, जिसमें सिविल कोर्ट द्वारा दिनांकित 14.08.1978 (अनुलग्नक पी-2) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा गया है, जिसे गांव के कुछ मालिकों द्वारा पसंद किया गया था, जो जाति से राजपूत थे और गाँव खुदा कलां, तहसील और जिला अंबाला के गोत्र द्वारा चौहान, यह दावा करते हुए कि वे एक अमी सिंह राजपूत चौहान की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार थे, जिनकी मृत्यु बिना किसी पुरुष या महिला मुद्दे को छोड़े हुई हुई थी, जिसमें उनकी विधवा श्रीमती कालेहरी के रूप में अधिकार का दावा भी शामिल था। कालेहरी की मृत्यु 19.9.1955 पर बिना किसी विवाद के हो गई क्योंकि कोई अन्य संपार्श्विक शेष नहीं बचा था और इसलिए प्रथा के अनुसार, वे उसी गोत्र के पट्टीदार होने के नाते उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार थे, जिसे मुकदमा खारिज कर दिया गया था और निजी प्रतिवादी ने भूमि पर कब्जा कर लिया था और खुद को अमी सिंह के उत्तराधिकारी होने का दावा किया था, जो भोंडू के पोते थे, जिन्हें अमी सिंह ने गोद लिया था और कालेहरी ने उनके मुकदमा में एक वसीयत का निष्पादन किया था। वास्तव में, निजी प्रतिवादी ने दिनांक 10.10.2021 (अनुलग्नक पी-14) के अभ्यावेदन द्वारा से, सिविल कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में पारित दिनांक 14.8.1978 (अनुलग्नक पी-2) के निर्णय और डिक्री के अनुसरण में उनके पक्ष में उत्परिवर्तन की मंजूरी मांगी थी।

(3) संक्षेप में, तथ्य यह है कि अमी सिंह, जो धूम सिंह का बेटा था, जाति राजपूत, खुदा कलां, तहसील और जिला अंबाला का निवासी था, गाँव खुदा कलां में पट्टी मदनी और पट्टी खुदा, तहसील और जिला अंबाला में गाँव मंघलाई में स्थित कृषि भूमि का मालिक था, इसके अलावा गाँव स्लरहेरी में भूमि के अलावा आवासीय घर सहित अचल संपत्ति थी। अमी सिंह की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी श्रीमती कालेहरी को संपत्ति विरासत में मिली। निजी प्रतिवादी के दावे के अनुसार, वे भोंडू के पोते हैं जो अमी सिंह और कालेहरी के दत्तक पुत्र थे। कालेहरी के जीवन काल के दौरान, उन्होंने दिनांकित 09.06.1917 अपने दत्तक पुत्र भोंडू के पक्ष में एक वसीअत को निष्पादित किया। 19.09.1955 पर बिना किसी संतान के उनकी मृत्यु हो गई। कालेहरी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 09.06.1917 के आलोक में, वे भोंडू के उत्तराधिकारी होने के नाते, उन्हें संपत्ति के मालिक के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है।

(4) जैसा कि प्रस्तुत ऊपर बताया गया है, उक्त मुकदमा को गाँव के स्वामित्व निकाय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और उक्त आदेश को उसमें दर्ज निष्कर्षों के साथ सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया था।उन निष्कर्षों के अनुसार, वसीयत दिनांकित 09.06.1917 को

कालेहरी द्वारा कानून के अनुसार निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वामित्व निकाय और वे व्यक्ति, जिन्होंने दीवानी मुकदमा को प्राथमिकता दी थी, भूमि के कब्जे के हकदार नहीं थे।

(5) उक्त वैध वसीयत के आधार पर, वह दावा जो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा विचार पर। दिनांक 18.5.2022 के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह रिकॉर्ड में आया है कि गाँव खुदा कलां का उत्परिवर्तन संख्या 543 और गाँव मंगलाई का उत्परिवर्तन संख्या 735 पहले ही तय और स्वीकृत किया जा चुका है। भोंडू के बेटे ठाकुर सिंह द्वारा पसंद किए गए उक्त उत्परिवर्तन आवेदन के कारण मलकान जैकार्डे के नाम पर उत्परिवर्तन को मंजूरी दी गई, जिसे सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी, अंबाला कैंट द्वारा दर्ज किया गया था। अपने दिनांकित 10.04.1961 आदेश में, कि ठाकुर सिंह के बयान के अनुसार, उनके पिता भोंडू, जिनके पक्ष में वसीयत को श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया है। कालेहरी, उससे पहले ही मर चुकी थी, जिसका अर्थ है कि उस के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होगी। इसलिए, उत्परिवर्तन को मलकान जैकार्डे के पक्ष में मंजूरी दी गई थी।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की खंड 105 पर भी इस मुद्दे को साबिभागभत करने के लिए भरोसा रखा गया था कि यदि वसीयतकर्ता से बच नहीं जाता है, तो विरासत प्रभावी नहीं हो सकती है, लेकिन वसीयतकर्ता की संपत्ति का आधा हिस्सा बन जाएगी, जब तक कि वसीयत का इरादा यह नहीं है कि यह किसी अन्य व्यक्ति को जाना चाहिए, जो कि दिनांकित 9.6.1917 वसीयत में ऐसा नहीं था। मलकान जैकार्डे के पक्ष में उत्परिवर्तन दर्ज करने वाले राजस्व अधिकारी के दिनांकित 10.04.1961 के इस आदेश को किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और यह आदेश जारी है।

प्रतिवादी द्वारा इस प्रार्थना के साथ एक मुकदमा दायर किया गया था कि मलकान जैकार्डे और पट्टी माधनी के नाम मालकी के स्तंभ से हटाने का आदेश दिया जा सकता है और वादी के नाम दिनांकित 9.6.1917 वसीयत के आधार पर स्तंभ में दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन एक मुकदमा मामला दायर करने की अनुमति के साथ इसे वापस ले लिया गया था। पंजाब भूमि की खंड 45 के ऊपर संदर्भ और निर्भरता रखी गई थी।

राजस्व अधिनियम, जहां विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 के अध्याय 6 के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है, जो खुद को किसी ऐसे अधिकार के बारे में व्यथित समझता है, जिसका अधिकार उसके कब्जे में हैं। उक्त उद्देश्य के लिए दीवानी मुक़दमे को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था और अधिकार की घोषणा के वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया था, कि ग्राम खुदा कलां का उत्परिवर्तन संख्या 543 और ग्राम मंगलाई का उत्परिवर्तन संख्या 735 क्रमशः 10.04.1961 और 02.02.1962 पर स्वीकृत किया गया था, जो अभी भी बिना किसी चुनौती के क्षेत्र और मौजूदा प्रविष्टियों को धारण कर रहे थे, याचिकाकर्ताओं को दावे के लिए हकदार नहीं बनाते थे, जैसा कि अभ्यावेदन में किया गया था।

(6) इस दिनांकित 18.05.2022 आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह मानते हुए रद्द कर दिया गया है कि राजस्व अधिकारी सिविल कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं और वे सिविल कोर्ट के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और हुकमनामे की अवहेलना करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए, सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा पारित दिनांक 18.05.2022 (अनुलग्नक पी-16) का विवादित आदेश अवैध है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 06.07.2022 के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अक्षर और भावना में 14.08.1978 के सिविल अदालत हुकमनामा के संदर्भ में उत्परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए उक्त प्राधिकरण को निर्देश के साथ अलग रखा गया है।

(7) अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस धारणा पर आगे बढ़ते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है जैसे कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित एक हुकमनामा के माध्यम से निजी प्रतिवादी के मुकदमा में घोषणा की हुकमनामा के लिए एक मुकदमा जारी किया गया है। असल में, गाँव के मालिकों द्वारा भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था और उक्त आदेश को 16.05.2007 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया था। उसमें जो कुछ आयोजित किया गया था वह श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 09.06.1917 की सीमा तक सीमित था। कालेहरी ने भोंडू के पक्ष में कहा कि वह इसे निष्पादित करने में उपस्थित थी क्योंकि उसे अपने पति अमी सिंह की संपत्ति विरासत में मिली थी। भारत उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की खंड 105 के प्रावधानों के आलोक में समाप्त होने के बाद भोंडू के कालेहरी से पहले मृत होने के संबंध में पहलू और इसलिए, सिविल कोर्ट द्वारा ध्यान दें नहीं दिया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।इसलिए, निजी प्रतिवादी उत्परिवर्तन के हकदार नहीं होंगे, जैसा कि प्रार्थना की गई है।

(8) वे निर्णय, जिन पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्भरता रखी गई है, जैसा कि निजी प्रतिवादी के वकील द्वारा उद्धृत किया गया था, हाथ में मामले पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उन सभी मामलों में यह देखा गया है कि सिविल अदालत के आदेश राजस्व अधिकारियों पर लागू होगी और उनके पास इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, आज तक, निजी प्रतिवादी या उनके पूर्ववर्तियों द्वारा भूमि के मालिकाना हक से संबंधित घोषणा के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय ने उन्हें मालिक घोषित किया है।

(9) अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि गाँव खुदा कलां के उत्परिवर्तन संख्या 543 और गाँव मंगलाई के उत्परिवर्तन संख्या 735 को मालकन जैकार्डे के नाम पर राजस्व अधिकारी द्वारा क्रमशः 10.04.1961 और 02.02.1962 पर पहले ही तय और स्वीकृत किया जा चुका था, जो उत्परिवर्तन पहले से ही अधिकारों के राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किए जा चुके थे, जो प्रविष्टि अभी भी मौजूद है और अब तक कोई चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार, उत्परिवर्तन, जैसा कि निजी प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया है, सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा सही ढंग से खारिज

कर दिया गया है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की खंड 13 का उल्लेख करते हुए, जो एक अपील का प्रावधान करती है, जो सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा पारित दिनांकित 18.5.2022 आदेश (अनुलग्नक पी-16) के खिलाफ उपलब्ध एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय है, वकील का तर्क है कि अपील के उपचार का लाभ निजी प्रतिवादी द्वारा नहीं उठाया गया है और इसलिए, न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

(10) वकील ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की खंड 45 पर और भरोसा रखा है, जिसके अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए एक मुकदमा दायर किया जा सकता है यदि वह खुद को किसी भी अधिकार से पीड़ित मानता है, जिसके अधिकार उसके पास रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स में या वार्षिक रिकॉर्ड में दर्ज होने से है, जिससे वह विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 के अध्याय 6 के तहत दावा करता है, जिसका उपचार भी निजी प्रतिवादी द्वारा नहीं लिया गया है। इस आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने का आदेश और सहायक आयुक्त, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा पारित दिनांकित 18.05.2022 (अनुलग्नक पी-16) को बरकरार रखने के लिए अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई है।

(11) निजी प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि एक बार एक वसीयत, जिसे निजी प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित में, भोंडू के पक्ष में निष्पादित होना वैध माना गया36, निजी प्रतिवादी उक्त भूमि के मालिक के रूप में हकदार होंगे और इसलिए, उनके पक्ष में उत्परिवर्तन को मंजूरी देने की आवश्यकता है।हालाँकि, वह इस तथ्य और निष्कर्ष पर विवाद नहीं कर सके कि भोंडू को अमी सिंह और कालेहरी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं था और इसलिए, गोद लेने के दावे के आधार पर उन्हें उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं था। इसका अधिकार वसीयत से जायागा जो श्रीमती कालहरी द्वारा निष्पादित की गयी थी।

(12) इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों को सौंपा है अर्थात सुबे सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त राजस्व, हरियाणा 1, बचन सिंह और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, अपील (1) पंजाब और अन्य 2, बालजीत सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त, पशुपालन, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य 3, राजेश कुमार बनाम वित्तीय आयुक्त और अन्य 4 और जगजीत सिंह बनाम संभागीय आयुक्त, पटियाला और अन्य 5 । इन आधारों पर निजी प्रतिवादी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जहां सिविल कोर्ट ने एक आदेश पारित की है, राजस्व अधिकारी न तो इसकी अनदेखी कर सकते हैं और न ही वे इसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा दीवानी न्यायालय को एक विपरीत निष्कर्ष भी नहीं दिया जा सकता है। निष्कर्ष निकालने के लिए, उनके द्वारा यह कहा गया है कि राजस्व अधिकारी सिविल अदालत के आदेश से बंधे हैं और इसलिए, उक्त निष्कर्षों के आधार पर एक उत्परिवर्तन दर्ज करना होगा। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने के लिए प्रार्थना की गई है।

(13) मुकदमाकारों के द्वारा विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार आदेश और अभिवचनों को देखने के साथ-साथ सिविल अदालत द्वारा एक मुकदमे में पारित निर्णय पर भी विचार आदेश के बाद, जिसे गाँव

के मालिकों द्वारा पसंद किया गया है, जो खुद को राजपूत जाति का और गोत्र द्वारा चौहान होने का दावा करते हैं और इसद्वारा, उत्तराधिकार के हकदार हैं, जिसे खारिज कर दिया गया था, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय मजबूत नहीं है और सहायक संग्रहकरता, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला छावनी द्वारा पारित दिनांक 18.05.2022 (अनुलग्नक पी-16) को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए।

1 2001 (4) आर. सी. आर (सिविल) 766

2 2008 (3) आर. सी. आर (सिविल) 887

3 2012 (2) आर. सी. आर (सिविल) 384

4 2009 (11) आर. सी. आर. (सिविल) 316

5 2012 (13) आर. सी. आर. (सिविल) 96

(14) जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे निर्विवाद हैं, इसलिए हम सीधे निर्णय पर आगे बढ़ेंगे, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है।

(15) निजी प्रतिवादी द्वारा जिन अधिकारों का दावा किया जाता है, वे इस धारणा पर आधारित हैं कि कालेहरी द्वारा निजी प्रतिवादी के हित में पूर्ववर्ती भोंडू के पक्ष में निष्पादित वसीयत, जिसे दीवानी न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, उन्हें उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करने का अधिकार देगा, जिससे उनके पक्ष में उत्परिवर्तन को मंजूरी दी जाएगी।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मुकदमा कब्जे के लिए था, जिसे गाँव के कुछ निवासियों द्वारा पसंद किया गया था, जो प्रचलित संस्कृति और रीति-रिवाजों के अनुसार खुद को सही उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे क्योंकि वे भी राजपूत जाति और चौहान गोत्र से संबंधित हैं।यह दावा इस तथ्य पर आधारित था कि अमी सिंह की मृत्यु निर्वसीयत अवस्था में हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी।दीवानी अदालत के आदेश के अनुसार, उनकी पत्नी कालेहरी को संपत्ति विरासत में मिली थी।उन्होंने भोंडू के पक्ष में 09.06.1917 दिनांकित एक वसीयत को निष्पादित किया।वह वसीयत, जिसे भोंडू के पक्ष में निष्पादित किया गया था, वह वैध पाई गई। इसके अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं था जो भोंडू के उत्तराधिकारियों को संपत्ति का सही मालिक घोषित करे क्योंकि इस बात का कोई विवाद नहीं है कि भोंडू कालेहरी से पहले मर गया था।

(16) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की खंड 105 के अनुसार, जो विरासत की चूक से संबंधित है, यदि वसीयतकर्ता से बच नहीं जाता है, तो विरासत प्रभावी नहीं हो सकती है, लेकिन वसीयतकर्ता की संपत्ति के अवशेष का एक हिस्सा बन जाएगी, सिवाय एक सवार के, यानी जब तक कि वसीयत द्वारा यह प्रतीत नहीं होता है कि वसीयतकर्ता का इरादा था कि इसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए। मान लीजिए, कालेहरी की वसीयत दिनांक 9.6.1917 में यह नहीं दिया गया है कि उन्होंने भोंडू को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को विरासत देने का इरादा किया था। कालेहरी की संपत्ति इस वसीयत के अनुसार अकेले भोंडू पर ही थी।

(17) दीवानी अदालत द्वारा दर्ज एक अन्य निष्कर्ष यह है कि भोंडू अमी सिंह और कालेहरी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं था, जिसे उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रखा गया है। अधिकार, यदि कोई होते, तो दीवानी अदालत के आदेश के आधार पर निजी प्रतिवादी पर निर्भर होते, अगर भोंडू कालेहरी से बच जाते। क्यों कि वह पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वसीयत लागू नहीं हुई और वसीयत के मुताबिक उपलब्ध कोई भी अधिकार कालेहरी के जीवनकाल के दौरान नहीं मिला ओर यह वसीहत भोंडू की मृत्यु के साथ समाप्त हो गयी। इस से साफ़ जाहिर है के निजी प्रतिवादी को उक्त वसीयत के आधार पर कोई अधिकार नहीं था। क्यूंकि भोंडू को अमी सिंह और कालेहरी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं पाया गया, इसलिए निजी प्रतिवादी को ना तो विचाराधीन भूमि ओर ना ही कोई उत्तराधिकारी का कोई अधिकार होगा।

(18) एक अन्य पहलू, जो हमें विद्वान एकल न्यायाधीश से अलग दृष्टिकोण रखने के लिए भी राजी करता है, वह यह है कि निजी प्रतिवादी द्वारा घोषणा के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है और ना ही किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा की गई, जिसमें उन्हें संपत्ति का मालिक घोषित किया गया हो। उनका मुकदमा निष्पादित वैध वसीयत दिनांक 09.06.1917 की धारणा पर आधारित है, जो, जैसा कि ऊपर माना गया है, उन्हें वसीयत के निष्पादक, भोंडू पूर्व मृत कालेहरी के रूप में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(19) इसके अलावा, ग्राम खुदा कलां से संबंधित उत्परिवर्तन संख्या 543 को दिनांक 10.04.1961 और ग्राम मंगलाई की उत्परिवर्तन संख्या 735 दिनाक 2.2.1962 पर मंजूरी दी गई, जहां राजस्व अधिकारी ने मलकान जैकार्डे के नाम पर उत्परिवर्तन को मंजूरी दी थी, जिसे अधिकारों के राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत शामिल किया गया है और राजस्व प्रविष्टियां आज तक मौजूद हैं, जिसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं दी गई है, उत्परिवर्तन, जैसा कि उनके प्रतिनिधित्व द्वारा से निजी प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकृत करने की मांग की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4904 में दिनांक 12.5.2022 के निर्देशों द्वारा से तय करने का आदेश दिया गया था, उसको खारिज कर दिया गया है।

इसके अलावा, दिनांकित आक्षेपित आदेश 18.05.2022 (अनुलग्नक पी -16) सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा उत्तीर्ण। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की खंड 13 के तहत अपील योग्य है, जो निजी प्रतिवादी के लिए उपलब्ध वैकल्पिक प्रभावी उपाय है, जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है।

(20) उचित प्राधिकारी द्वारा उचित निर्णय से बचने और उन पक्षों को अवसर देने के लिए, जिनके पक्ष में परिवर्तनों को सवीकार दी गई है, प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका के मध्यम से एक सरल उपाय किया जा रहा है जिस को उन्होंने ने पहल दी है। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि जिन पार्टियो के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन दर्ज किए गए हैं, वे रिट याचिका के पक्षकार नहीं हैं। निजी प्रतिवादी की ओर से यह अभ्यास उनकी ओर से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का एक प्रयत्न प्रतीत होता है, जो स्वयं निजी प्रतिवादी की रिट याचिका को स्वीकार ना करने के लिए एक अच्छा आधार है जैसा कि जिस को उन्होंने ने पहल दी थी।

(21) मलकान जयकार्डे और पट्टी माधनी के स्वामित्व वाले नामों के स्तंभ से हटाने और वसीयत और दीवानी अदालत के आदेश के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व वाले स्तंभ में उनके नाम दर्ज करने के लिए

निजी प्रतिवादी द्वारा मुकदमा दीवानी मुकदमे को उचित मामला मुकदमा करने की अनुमति के साथ वापस ले लिया गया, जिससे उन्हें अभ्यावेदन में किए गए दावे का हकदार।

(22) निजी प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे सभी ऐसे मामलों से संबंधित हैं जहां दीवानी न्यायालयों द्वारा याचिकाकर्ताओं के संबंधित संपत्ति के मालिक होने के संबंध में घोषणा जारी की गई है। यह उस संदर्भ में है कि टिप्पणियां आई हैं कि राजस्व अधिकारी दीवानी न्यायालय के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते हैं और फैसले की अवहेलना करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम सतपाल सिंह नहीं माना गया। 1239

अन्य (ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील को प्रतिग्रहण करना का आदेश हैं और सहायक एकत्र करनेवाला, द्वितीय श्रेणी-सह-नायब तहसीलदार, अंबाला कैंट द्वारा पारित दिनांक 18.05.2022 (अनुलग्नक पी-16) को उसी आदेशा द्वारा रखते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने का आदेश देते हैं।

सीएम-1363-एलपीए-2022

(24) मुख्य अपील के निपटारे को ध्यान में रखते हुए, स्थगन के लिए वर्तमान आवेदन को निष्फल कर दिया गया है और उसी के रूप में निपटाया जाता है।

शुभरीत कौर

विनय पुरी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।